राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—म—5(3)आर.पी.ए./जन/स्टेशनरी/2023/ 3555 दिनांकः 3.7.25

खुली बोली आमंत्रण सूचना

इस संस्था मे वित्तीय वर्ष 2025—26 की अवधि के लिए फोटो एवं प्रमाण—पत्र फोल्डर, एल फोल्डर , फलैक्स बैनर इत्यादि आईटम की दर अनुबंध के लिए मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान सरकार के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं। इच्छुक निविदादाता द्वारा दिनांक 04.07.2025 से 16.07.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड कर दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं जिसके लिए निविदा फॉर्म शुल्क तथा बोली प्रतिभूती का डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। —

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	फोटो एवं प्रमाण—पत्र फोल्डर, एल फोल्डर (आर.पी.ए. लोगो मुद्रित), फलैक्स/बैनर, लौहा फ्रेम, सन् बोर्ड विद विनायल सीट/सर्टिफिकेट/ विभिन्न कोर्सेज के लिए ग्रुप फोटो इत्यादि	9.50 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत * 19000/-डी.डी. के माध्यम से	500/— रू.0 *	16.07.2025 अपराह्नः 02.00 बजे

*–राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 1 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।

संलग्न— बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
5. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
6. संचित निरीक्षक (प्रशासन/क्वार्टर मास्टर) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तो के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
8. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

1. कार्य का नामः– **अकादमी परिसर में फोटो एवं प्रमाण–पत्र फोल्डर, एल फोल्डर, फ्लैक्स बैनर इत्यादि के लिए दर संविदा 2025–26।**
2. निविदा संख्या /2025–26 दिनांक......................
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जावें।
4. (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई–मेल सहितः–
   ....
   ई–मेल आई.डी...
   (ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम...मोबाईल नं....................
5. निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रूपये 500/– का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/रसीद संख्या/..................................दिनांक...............संलग्न है।
6. बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रू. /–का बैंकर चैक/ड्राफट संख्या...................... दिनांक ....संलग्न है।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
8. निविदा खुलने की तिथि से दरों की विधि मान्यता अवधि 90 दिवस होगी।
9. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–

क्र.सं.	विवरण	निविदा में संलग्न दस्तावेज की पृष्ठ संख्या
1.	PAN Card व Address Proof प्रमाण पत्र	
2.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
3.	राजकीय कार्यालय में एक वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र	
4.	गत तीन वर्ष का GST और I.T रिटर्न	
5.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षो 2021–2022, 2022–23 व 2023–24 में वार्षिक राशि 10.00 लाख का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा टर्नओवर C.A द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिस पर UDIN नम्बर अंकित हो। बिना UDIN नम्बर के टर्नओवर प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
6.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। **(राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)**	
7.	समस्त दस्तावेज पर फर्मदाता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।	

निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे।

Scanned with OKEN Scanner

निविदादाता द्वारा अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

10. निविदा सूचना संख्या /2024–25 दिनांक ....राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम सहमत है। निविदा की अन्य शर्ते, जो संलग्न पृष्ठो में दी गई है। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with OKEN Scanner

(वित्तीय बिड)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई–मेल सहित–

....

....ई–मेल आई.डी...

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....मोबाईल नं...

2. निविदा में अंकित समस्त शर्तो की पालना करते हुए उल्लेखित आईटम की दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.सं.	कार्य	प्रति इकाई / नग	देय GST	कुल GST सहित
1.	फोटो फ्रेमिंग एवं प्रमाण–पत्र आर.पी.ए. लोगो मुद्रित (A4 साईज, एवं 400 **GSM का तथा अन्दर 12X10 की बोर्डर व नीला कलर)**			
2.	कागज फोल्डर (आरपीए लोगो मुद्रित) (A4 **फोल्डर, एवं 300 जी.एस.एम. पेपर)**			
3.	फलैक्स / बैनर (स्टार प्लस कपड़े) पर मय पेस्ट (प्रति वर्ग फुट / GSM)			
4.	फलैक्स / बैनर लोहा फ्रेम 7 कि.ग्रा, 5कि.ग्रा., 3 कि.ग्रा (प्रति वर्ग फुट / GSM)			
5.	3 MM सन् बोर्ड सोलवेन्ट सहित फिटिंग कार्य सहित विद् फ्रेम विनायल सीट (प्रति वर्ग फुट / GSM)			
6.	ग्रुप फोटो Glossy Paper 12x8			
7.	सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र 300 GSM			

3. निविदा सूचना संख्या.........../2024–25 दिनांक ....को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है मै वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये भी हम सहमत है एवं उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तो को जो संलग्न पृष्ठो में दी गई है। जिसके समस्त पृष्ठों पर उसमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with OKEN Scanner

अकादमी परिसर में फोटो एवं प्रमाण–पत्र फोल्डर, एल फोल्डर, फलैक्स बैनर इत्यादि के लिए दर संविदा 2025–26 के नियम व शर्ते

1. निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएं भेजते समय उनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें।

   1. यह निविदा द्वि–प्रक्रर्मी ( ) निविदा के रूप में आंमत्रित की गई हैः–

      1. तकनीकी निविदा
      2. वित्तीय निविदा

2. निविदा दो अलग–अलग लिफाफो में होगी। एक लिफाफा जिस पर तकनीकी बिड अंकित होगा जिसमें निविदा प्रपत्र एवं शर्ते, बिड सिक्योरिटी राशि के डी.डी./बैकर्स चैक सहित तकनीकी बिड में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र रखे जावें। दूसारा लिफाफा, जिस पर वित्तीय बिड अंकित होगा इस लिफाफे में वित्तीय बिड के निर्धारित प्रारूप में दर अंकित की जाकर रखा जावें। दोनो लिफाफे पृथक–पृथक बंद किये जाकर एक बड़े लिफाफे में रखे जाकर बड़े लिफाफे पर जॉब बेसिस पर फोटो प्रमाण–पत्र एवं फलैक्स हेतु निविदा अंकित करते हुए मुहर बन्द किया जाकर निविदा प्रस्तुत की जावें।

3. सफल प्रदायकर्ता फर्म को स्वयं के व्यय पर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। प्रतिभूति की राशि निविदा अवधि पूर्ण होने की तारीख से दो माह पश्चात् लौटा दी जायेगी। निविदा समाप्ति पर यदि संवेदक के विरूद्व कोई बकाया निकलता है तो उसकी कटौति प्रतिभूति राशि से की जावेगी। प्रतिभूति की राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने एवं नियत कालावधि में इकरारनामा निष्पादित करनें विफल रहने की स्थिति में संवेदक (निविदादाता) द्वारा नियम तथा शर्तो को भंग माना जायेगा तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेंगी।

4. राजस्थान अनुबंधित (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं अन्य श्रम संबधी श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार कार्य कराने का दायित्व भी संवेदक (निविदादाता) का ही होगा।

5. किसी भी स्तर/परिस्थिति में निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्तारकर्ता को होगा।

6. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए निविदा को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

7. यह निविदा केवल 01 वर्ष के लिए आंमत्रित की गई है। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में आर.टी.पी.पी. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार निविदा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

8. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को तकनीकी बोली के साथ जमा कराना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा। सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।

9. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर उपापन की लागत की 5 प्रतिशत की दर से कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर बोलीदाता के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

10. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

11. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।

12. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

13. अगर दरों में गणितीय त्रुटी पाई जाती है तो शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।

14. उपाप्त की जाने वाली सेवाओं हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

15. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य यथासमय नहीं किया जाता है, अथवा कम कार्य किया जाता है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से कार्य करवा लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।

16. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/ कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

17. सर्वप्रथम बोलीदाताओ की तकनीकी बिड उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड मे सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओ द्वारा **"वित्तीय प्रस्ताव"** में प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।

18. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

19. ''वित्तीय प्रस्ताव'' मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नही होगी।
20. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है।
21. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
22. बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षो 2021–2022, 2022–23 व 2023–24 में वार्षिक राशि 10.00 लाख का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा टर्नओवर C.A द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिस पर UDIN नम्बर अंकित हो। बिना UDIN नम्बर के टर्नओवर प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
23. निविदादाता राशि डी.डी. से जमा करवाकर राजस्थान पुलिस अकादमी कार्यालय से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है।
24. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। **(राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)**
25. निविदादाता को सरकारी विभाग में/स्वायत्त शासित संस्थाओं/अर्द्व–सरकारी संस्थाओ में जिसके लिए समान कार्य का अनुभव होना चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु कार्यादेश/कार्यानुभव प्रमाण–पत्र/ कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
26. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार (यदि लागू हो) तो पृथक–पृथक दर्शाया जावे। प्रभार पृथक से नही दर्शाये जाने पर प्रस्तुत दरें समस्त प्रभारों सहित मानी जाऐगी। नियमानुसार जी. एस. टी. राशि (यदि लागू हो) का भुगतान पृथक से देय होगा।
27. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर न्यूनतम से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।
28. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया

Scanned with OKEN Scanner

जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।

29. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

30. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)

31. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

32. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

33. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

34. कच्चा माल यथा कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल, आदि दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।

35. अनुमोदित बोलीदाता फर्म को कार्यादेश में उल्लेखित विधि से एवं निर्धारित अवधि में बण्डलों मे पैक कर संस्थान के स्टोर में पहुँचानी होगी। निविदादाता को इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

36. कार्यादेश के अनुसार किये गये कार्य के लिए प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्र

मै. ....

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

पूर्ण पता

टेलीफोन नं.

Scanned with OKEN Scanner